न्यायालयः–विशिष्ठ न्यायाधीश अ.जा./ज.जा.(अ.नि.प्र.) बारां, जिला–बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– लोकेश कुमार शर्मा, (RJS–DJ CADRE)

निर्णय दिनांकः– 06.04.2026

सेशन प्रकरण संख्याः– 203/2021

सी.आई.एस. नंबरः– 205/2021

सी.एन.आर. नंबरः– RJBR050007212021

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 141/2021, **पुलिस थानाः–** छबड़ा, जिला–बारां

अपराध अंतर्गत धाराः–504, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति(अ.नि.) अधिनियम 1989

PART–I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ठ लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	1. सुनीता बाई उर्फ सोना उर्फ सोनिया सिंधी पत्नी सुरेश वाघवानी, उम्र–44 साल, 2. आकाश उर्फ कप्पू सिंधी उर्फ रोनी पुत्र सुरेश, उम्र–24 साल, 3. अशरफ अली उर्फ शानू पुत्र अख्तर अली, उम्र–36 साल, निवासीगण–हिलव्यू कॉलोनी छबड़ा, थाना–छबड़ा, जिला–बारां (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता– श्री बृजमोहन गोयल

B

अपराध की दिनांक	20.02.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	21.02.2021
आरोप पत्र की दिनांक	17.11.2021
आरोपों की विरचना की दिनांक	20.09.2022
साक्ष्य प्रारंभ करने की दिनांक	20.09.2022
निर्णय सुरक्षित किये जाने की दिनांक	06.04.2026
निर्णय की दिनांक	06.04.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की दिनांक	निल

C– अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमनात पर रिहा होने की तिथि	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि
01	सुनीता उर्फ सोना उर्फ सोनिया	13.07.2021	14.07.2021	504, 506, 34 भा.दं.सं. व 3(1)(s), 3(2)(va) Sc/St act	दोषमुक्त	निल	दिनांक 13.07.2021 से 14.07.2021 तक
02	आकाश उर्फ कप्पू सिंधी उर्फ रोनी	13.07.2021	14.07.2021	504, 506, 34 भा.दं.सं. व 3(1)(s), 3(2)(va) Sc/St act	दोषमुक्त	निल	दिनांक 13.07.2021 से 14.07.2021 तक
03	अशरफ अली उर्फ शानू	13.07.2021	14.07.2021	504, 506, 34 भा.दं.सं. व 3(1)(s), 3(2)(va) Sc/St act	दोषमुक्त	निल	दिनांक 13.07.2021 से 14.07.2021 तक

PART–II

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्ष्य की सूचीः–

A. अभियोजन साक्ष्यः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
P.W. 01	युवराज चंदेल	परिवादी/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.02	मोहम्मद राशिद	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.03	ओमेन्द्र सिंह	अनुसंधान अधिकारी/पुलिस साक्षी

B. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई हो तो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
–	–	–

C. न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

A. अभियोजन प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी.01/PW.01	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी.02/PW.01	चाक एफ.आई.आर.
03	प्रदर्श पी.03/PW.01	नक्शा मौका
04	प्रदर्श पी.04/PW.01	जाति प्रमाण पत्र
05	प्रदर्श पी.05/PW.01	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. युवराज चंदेल
06	प्रदर्श पी.06/PW.02	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. मोहम्मद राशिद
07	प्रदर्श पी.07 से पी.09/PW.03	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण

B. प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

C. न्यायालय प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

D. वस्तु प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

PART–III

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 21.02.2021 को परिवादी युवराज ने थाना छबड़ा पर उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसका एक मकान कस्बा छबड़ा में हिलव्यू कॉलोनी में स्थित है। वह उक्त मकान को बेचने हेतु कस्बा छबड़ा में आया हुआ है तथा दिनांक 20.02.2021 को समय सुबह 10 बजे का था जब वह अपने मकान हिलव्यू में था। तब शानू, आशु, सोनिया सिंधी, कप्पू सिंधी, सोनू सिंधी, गौरव सिंधी आये। इनके हाथों में लट्ठ लिये हुए थे तथा घर के बाहर से जातिसूचक शब्दों का जैसे खटीकड़े, मादरचोद घर से बाहर निकल आज तेरा खेल खत्म कर देंगे। प्रार्थी इनको देख कर घर से बाहर नहीं आया तथा कुछ समय बाद अप्रार्थीगण वहां से चले गये, किंतु रात्रि को शाम के लगभग 8 से 9 के बीच सभी अप्रार्थीगण दुबारा प्रार्थी के मकान पर हथियार लेकर आये और फिर से गाली–गलौंच करने लगे तथा प्रार्थी के गेट नहीं खोलने पर धक्का देने लगे। प्रार्थी काफी घबराया हुआ, उनके चले जाने के बाद अपने मामा के घर जो कि खटीक मोहल्ला छबड़ा में स्थित है, पर जाकर सोया। प्रार्थी को अप्रार्थीगण से अपनी जान का खतरा बना हुआ है,.....इत्यादि।

2– उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना छबड़ा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **141/2021** अपराध अंतर्गत धारा **451, 143, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3– बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 17.11.2021 को अभियुक्तगण सुनीता बाई उर्फ सोना उर्फ सोनिया सिंधी, आकाश उर्फ कप्पू सिंधी उर्फ रोनी व अशरफ अली उर्फ शानू के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा **506, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

4– बहस चार्ज सुनी जाकर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा **506, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप विरचित करने के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5– यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि दौराने विचारण प्रकरण में युवराज चंदेल एवं अभियुक्तगण ने स्वैच्छया राजीनामा हो जाना जाहिर कर एवं न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर

धारा 506, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा प्रस्तुत किया। जिस पर राजीनामा नियमानुसार बाद जांच तस्दीक किया जाकर मुल्जिमान को दिनांक 27.06.2025 को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 506, 504, 34 भा0 दं0 सं0 में बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया है। तत्पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण में केवल आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का ही विचारण शेष रहा, जिसके संबंध में यह निर्णय पारित किया जा रहा है। अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने पर अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया और झूठा फंसाना कथन किया और साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना व्यक्त किया, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गयी।

6– बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7– प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह रहे हैं कि:–

(i) आया कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी युवराज को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुए लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक गालियों से सम्बोधित किया एवं अधिनियम की अनुसूची में आने वाला धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित किया ?

(ii) यदि हां तो उसका उचित दंडादेश क्या होगा?

8– उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

9– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का बहस में तर्क रहा है कि प्रकरण में स्वयं परिवादी पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक गाली–गलौंच करना नहीं बताया है। अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मोहम्मद राशिद भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने भी अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक गालियां नहीं देना बताया है। वास्तव में परिवादी ने क्रॉस प्रकरण से बचने के लिए यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रकरण में मूल अपराध में राजीनामा हो चुका है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अभियुक्त के

विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होता हो। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

11– प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें पी.ड. 01 युवराज चंदेल जो स्वयं परिवादी/आहत है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि आज से चार–पांच साल पूर्व की बात है। सुबह 09–10 बजे करीब वह उसके घर पर था, तब शानू, सोनिया, अशरफ का मकान उसके पड़ौस में ही है। इन लोगों से उस दिन कचरे को लेकर विवाद हो गया था, तो इन्होंने उसे जातिसूचक गालियां नहीं दी, आपस में कहासुनी ही हुई थी तथा उसे जान से मारने की धमकी भी नहीं दी। उक्त गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.02 एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिससे विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 का सी से डी भाग एवं पुलिस बयान प्रदर्श पी.05 का ए से बी भाग गलत होना बताया है। अभियुक्त की ओर से जिरह करने पर गवाह ने कथन किया है कि **मुल्जिमान ने उसे कोई जातिसूचक शब्द भी नहीं कहे थे।**

12– पी.ड. 02 मोहम्मद राशिद घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जो पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि **उसके सामने फरियादी युवराज एवं मुल्जिमान अशरफ अली, आकाश व सुनिता उर्फ सोना के बीच में सामान्य कहासुनी हुई थी। मुल्जिमान ने फरियादी को कोई जातिसूचक शब्द नहीं कहे।** उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर पुलिस बयान प्रदर्श पी.06 का ए से बी भाग गलत होना बताया है।

13– पी.ड. 03 ओमेन्द्र सिंह प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, जिसने दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 बनाना, फरियादी का जाति प्रमाण पत्र लेकर शामिल पत्रावली करना तथा गवाहान के बयान लेखबद्ध करना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि दोनों पक्षों में क्रॉस प्रकरण दर्ज हुआ था।

14– साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के पश्चात हमारा पृथक–पृथक विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार हैः–

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (i)–</u>

15– साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात हमें एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना है। जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध धारा **3(1)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप है। इस संबंध में परिवादी ने अपनी लिखित रिपोर्ट

प्रदर्श पी.01 में अभियुक्तगण द्वारा उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करना बताया है, लेकिन परिवादी पी.ड. 01 युवराज ने अपने बयानों में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि इन लोगो से उस दिन कचरे को लेकर विवाद हो गया था। इन्होंने उसे जातिसूचक गालियां नहीं दी। इस तथ्य को अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर और स्पष्ट करते हुए गवाह ने कथन किया है कि मुल्जिमान ने उसे कोई जातिसूचक शब्द भी नहीं कहे थे। इस प्रकार स्वयं परिवादी अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक गाली–गलौंच करने के तथ्य से इंकार कर रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त परिवादी पी.ड. 01 युवराज चंदेल ने विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 का सी से डी भाग गलत होना बताया है, जिससे भी परिवादी द्वारा रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं हो रही है। प्रकरण में अन्य स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.ड. 02 मोहम्मद राशिद पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने मुल्जिमान द्वारा फरियादी को कोई जातिसूचक शब्द नहीं कहना बताया है। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह के कथनों से भी अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को जातिसूचक गाली–गलौंच करने का कोई तथ्य प्रकट नहीं हो रहा है।

16– इस प्रकार स्वयं परिवादी द्वारा अपने बयानों में रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं की है। अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के कथनों से भी अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का तथ्य प्रकट नहीं हो रहा है तो अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक गालियों से सम्बोधित कर अपमानित किया हो। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा **3(1)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

17– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्त द्वारा अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध यह जानते हुए कारित किया कि परिवादी अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है। इस संबंध में पी.ड. 01 युवराज ने अपने मुख्य परीक्षण में केवल कहासुनी होना बताया है और यह स्पष्ट कथन किया है कि उसे जान से मारने की धमकी भी नहीं दी। इस प्रकार स्वयं परिवादी ने अभियुक्तगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देने के तथ्य से इंकार किया है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.ड. 02 मोहम्मद राशिद पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने भी अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को जान से मारने की धमकी देने अथवा जातिसूचक गाली–गलौंच करने का कोई कथन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में परिवादी

युवराज एवं प्रत्यक्षदर्शी गवाह मोहम्मद राशिद के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना जानते हुए परिवादी को जान से मारने की धमकी दी हो।

18– इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है। धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का अपराध एक सापेक्षिक अपराध है। अभियुक्तगण को अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किये जाने के कारण अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित मूल अपराध अंतर्गत धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता कारित किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

19– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु (i) को अपने पक्ष में सिद्ध करनें में असफल रहा है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार अभियुक्तगण सुनीता बाई उर्फ सोनू उर्फ सोनिया, आकाश उर्फ कप्पू उर्फ रोनी व अशरफ अली उर्फ शानू को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

20– अतः अभियुक्तगण **1. सुनीता बाई उर्फ सोना उर्फ सोनिया सिंधी पत्नी सुरेश वाघवानी, उम्र–44 साल, 2. आकाश उर्फ कप्पू सिंधी उर्फ रोनी पुत्र सुरेश, उम्र–24 साल, 3. अशरफ अली उर्फ शानू पुत्र अख्तर अली, उम्र–36 साल, निवासीगण–हिलव्यू कॉलोनी छबड़ा, थाना–छबड़ा, जिला–बारां (राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

21– प्रकरण में परिवादी व अभियुक्तगण के मध्य दिनांक 27.06.2025 को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 504, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा हो जाने

से अभियुक्तगण को बरूए राजीनामा पूर्व में दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण के उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके अविलम्ब निरस्त करने के आदेश दिये जाते है।

22– हस्तगत प्रकरण में चूंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं हुआ है। अतः हस्तगत प्रकरण में परिवादी को धारा 357 ए दं0 प्र 0 सं0 के तहत किसी प्रकार की पीड़ित प्रतिकर राशि दिलवाये जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

23– इस प्रकरण में जब्तशुदा माल यदि कोई हो तो बाद गुजरने मियाद अपील विधि अनुसार नष्ट किया जावें और अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार माल का निस्तारण किया जाए।

24– अभियुक्तगण की ओर से धारा 437 ए सीआरपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत मुचलकें निर्णय की दिनांक से छः माह तक प्रवृत्त बने रहेंगे।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला–बारां (राज0)

25– निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला–बारां (राज0)